न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील//एलआर/3780/2006/जोधपुर

1– रामाकिशन पुत्र सुरजनराम
2– बीरबलराम पुत्र हिरकनराम
3– सुखराम पुत्र हिरकनराम
4– धर्माराम पुत्र मुगलाराम
5– मोहनराम पुत्र हिरकनराम
सभी जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1–गोपाराम पुत्र धूडाराम जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलौदी।
2–श्रीमति पारू पुत्री धूडाराम पत्नि बागाराम जाति विश्नोई निवासी पाबूचंवरा सांवरीज तहसील फलौदी।
3–मंगलाराम पुत्र जसवन्तराम जाति विश्नोई निवासी खारा तहसील फलौदी।
4– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, फलौदी जिला जोधपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री लाधूराम पुनिया, अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2

निर्णय

दिनांक 1–2–2023

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–5–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम खारा में स्थिति भूमि खसरा नंबर 206 में से रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नंबर 202 रकबा 27 बीघा अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पिता से जरिए बेचान से क्रय की । उक्त बेचान के आधार पर अपीलाण्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत खारा ने नामान्तरकरण संख्या 28/46 दिनांक 30–5–1959 को

स्वीकार किया । ग्राम पचांयत के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–8–1992 से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, फलौदी को प्रतिप्रेषित किया । तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश की पालना में अपने निर्णय दिनांक 10–1–2005 से नामान्तरकरण निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश पारित किए । तहसीलदार के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 25–5–2006 से अपील खारिज कर दी । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 25–5–2006 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि अपीलार्थी के पक्ष में किया गया बेचान धारा 54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्दर आता है। जो जुबानी बेचान है, उसमें वादग्रस्त भूमि 46 रूपये में बेचान किया जाकर कब्जा हस्तांतरण किया गया। जिसकी रिपोर्ट बेचानकर्ता द्वारा संबंधित पंचायत में दी गई एवं उसी के आधार पर नामानतरकरण स्वीकार किया गया था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किए बगैर निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा पिछले 45 वर्षो से चला आ रहा है, जिसमे उसकी रहवासी ढाणियाँ बनी हुई है । तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई निर्णय नहीं दिया। इस कारण तहसीलदार का आदेश निरस्त योग्य था किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावें ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । उनका कथन है कि तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में पूर्ण जांच कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती

निष्कर्षो पर आधारित है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 28/46 रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को कथित बेचानपत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है । जिस बेचान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह बेचान पत्र अपीलाण्ट द्वारा न तो विचारण न्यायालय के समक्ष न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है । नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इन्हीं पक्षकार के मध्य सहायक कलेक्टर, फलौदी के समक्ष मूल वाद भी विचाराधीन होना प्रकट होता है । नामान्तरकरण संख्या 28/46 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 30–5–59 से निरस्त भी किया जा चुका है। इसी को ध्यान में रखते में तहसीलदार द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना में पुनः जांच कर यही पाया है कि ग्राम खारा का नामान्तरकरण संख्या 28/46 उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा निरस्त किया जा चुका है। पटवारी हल्का को उक्त नामान्तरकरण के पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में कायम कररने के निर्देश दिए । अपीलाण्ट जिस दस्तावेज के आधार पर अपील में अनुतोष चाहता है, वह दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है और इस आधार पर उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील को खारिज किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि**

‘‘जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार

का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–

Second appeal -Concurrent findings of law and facts-In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक एवं विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य